प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2023** प्र0सू0रि0 सं. ....226/23....दिनांक.....22/8/2023
2. (I) अधिनियम **7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**

   (II) अधिनियम ...भा0द0स0 ..... धारायें ... **120बी भा.द.सं.**

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....434.....समय 8:10pm

   (ब) अपराध घटने का दिन **सोमवार** दिनांक **21.08.2023 समय 4.12 पी.एम.**

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक- **.17.08.2023..**समय- **10.55 एएम.**
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक **लिखित**
5. घटनास्थल:- **कार्यालय पीएचईडी, नगर उपखण्ड- द्वितीय (उत्तर), जयपुर**

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- **करीब 15 किलोमीटर बजानिब दिशा उत्तर**

(ब) पता- बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम :- **श्री मनीष कुमार शाह**
   (ब) पिता/पति का नाम - **श्री बोदूराम शाह**
   (स) जन्म तिथी/वर्ष - 35 साल
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय- **निजी व्यवसाय**
   (ल) पता- मु.पो. छापोली, पीएस उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू हाल 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -
   1. श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, उम्र 26 साल, निवासी मु.पो. ठिकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा हाल म.नं. 180/174, सैक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर हाल जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ.) जयपुर
   2. श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौर, उम्र 28 साल, निवासी, गांव डोबड़ी खुर्द, पंचायत डोबड़ी कला, तहसील मकराना, नागौर हाल प्लॉट नं. 90, शिवनारायण वाटिका, बालाजी विहार-62 के अपोजिट साईड, निवारू रोड़ जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ) जयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 22,000 रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....22,000. /-**रूपये**

Suresh

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 17.08.2023 को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर द्वारा जरिये फोन मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री मनीष कुमार के बारे में बताते हुये उनके मो.नं. 7976973059 पर सम्पर्क कर मनीष कुमार की शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मो.नं. 7976973059 पर सम्पर्क कर अपना परिचय देते हुये नाम पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार बताया तथा कहा कि ''उसके फ्लेट में पानी का कनेक्शन करने की एवज में पीएचईडी विभाग, विश्वकर्मा, जयपुर में पदथापित जेईएन व अन्य कर्मीयो द्वारा रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, मै उनको रिश्वत नही देना चाहता हूं,'' जिस पर विस्तार से हालात जानने हेतु श्री मनीष कुमार को 14 नम्बर पुलिया, जयपुर के पास पहुंचने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की अलमारी में से निकालकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये। समय 11.05 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 के व अन्य जाप्ता के सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय हाजा से रवाना होकर समय 11.50 एएम पर 14 नम्बर पुलिस, जयपुर के पास पहुंचे। जहां पर फोन पर सम्पर्क कर परिवादी मनीष कुमार को सड़क के किनारे बुलाया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मनीष कुमार मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास पहुंचा, जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं का परिचय देकर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार शाह, निवासी फ्लेट नं. 7/4, रजत अपार्टमेंट, दादी का फाटक, जयपुर बताते हुये कहा कि मेरे फ्लेट में पानी का कनेक्शन करने की एवज में पीएचईडी विभाग, विश्वकर्मा, जयपुर कार्यालय में पदस्थापित जेईएन व अकाउटेन्ट मेरे से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर मुझे परेशान कर रहे है। मै उनको रिश्वत नही देकर उनके खिलाफ एसीबी में कार्यवाही करवाना चाहता हूं। परिवादी श्री मनीष कुमार ने बताया कि अभी मेरे को घरेलु आवश्यक कार्य है अत: मै दोपहर बाद आपसे सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं, दोपहर बाद मै आपको पीएचईडी ऑफिस विश्वकर्मा के पास स्थित पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर के पास मिल जाऊंगा। समय 2.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 के सरकारी वाहन मय चालक के दीगर राजकार्य करते हुये पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर के पास पहुंचे। जहां पर श्री मनीष कुमार के मो.नं. 7976973059 पर सम्पर्क कर उसको पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर के पास बुलाया गया। जो समय 2.50 पीएम पर विश्वकर्मा थाना के पास, मन् उप अधीक्षक पुलिस के सरकारी वाहन के पास पहुंच। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा नियमानुसार श्री मनीष कुमार को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट देने हेतु कहा गया तो उसने अपने हस्तलिखित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें परिवादी ने अंकित किया है कि ''सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी जयपुर, विषय रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम मनीष कुमार शाह पुत्र श्री बोदूराम शाह, निवासी प्लाट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक जयपुर है। मै मेरे उक्त रिहायशी मकान में (फ्लैट में) में पानी का कनैक्शन (व्यक्तिगत) करवाना चाहता हूं। जिसके लिए मैने पीएचईडी ऑफिस विश्वकर्मा थाना, 5 नम्बर के पिछे जयपुर में कनेक्शन संबंधित फाईल बनाकर उक्त ऑफिस में कार्यरत जेईएन श्री मोहित सिंघल को दी थी जो इसके बाद में दिनांक 10.08.2023 को जेईएन और लेखाकार दोनो मौका करने हमारे सोसाइटी आये और मौका देखकर रिपोर्ट तैयार कर मुझे 8512 रूपये लेवी के और 2000 रूपये एल फार्म के और 2500 रूपये फाईल चार्ज और 10,000 रूपये अतिरिक्त एईएन, (जेईएन) स्वयं, लेखाकार के खर्चा पानी के बताये। उक्त कुल रूपये 23012 में से कनैक्शन हेतु रसीद व सरकारी राशि 13012 रूपये होना बताया व शेष 10,000 रूपये रिश्वत राशि के रूप में मांग रहे है। मै उक्त लोगो को आने पानी के वैध कनैक्शन करवाने के लिए रिश्वत के रूप में 10,000 रूपये नही देना चाहता। कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 17.08.2023, एसडी मनीष, प्रार्थी मनीष कुमार शाह पुत्र बोदूराम शाह, उम्र 35 साल, जाति महाजन, निवासी मु.पो. छापोली, पीएस उदयपुरवाटी, झुन्झुनू हाल 7/4,

रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर मो.नं.- 8384931403, 7976973059'' उक्त रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह ने बताया कि मै दिनांक 09.08.2023 को पानी कनैक्शन की मेरी पुरानी फाईल लेकर पीएचईडी ऑफिस गया था जो वहां पर कार्यरत अकाउटेन्ट रविन्द्र जी ने लेकर अपने पास रख ली थी तथा मेरे को कहा था कि एक दो दिन में मै और जेईएन साहब आपका मौका देखने आयेगे तथा मौका देखकर आपको खर्चा बता देंगे। जब आप दुबारा ऑफिस आओ तो अपनी फोटो ले आना, बाकी सारा काम हम कर देंगे। मेरे पास जेईएन मोहित सिंघल के 2-3 बार कॉल भी आये थे जिसमें उन्होने मुझसे कहा कि आप ऑफिस आ जाओं, आपकी फाईल तैयार करके हम दे देंगे उस दिन हमने आपकों मौका देखकर बताया वो हमारा खर्चा पानी भी ले आना, उसके बाद में आपका पानी का कनेक्शन हो जायेगा। परिवादी ने बताया कि आज भी वो मेरे को पीएचईडी ऑफिस में मेरे से रिश्वत लेने के लिए बुला रहे है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अत: रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को एसीबी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे आज भी जेईएन पीएचईडी ऑफिस में बुला रहे है और मै ऑफिस जाकर जेईएन व लेखाकार से बातचीत कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। अत: रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त जैसे तथ्य प्रकट होंगे वैसी कार्यवाही की जावेगी। इस पर हमराह श्री सुभाष चन्द कानि. 592 को बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। संदिग्ध जेईएन, लेखाकार व अन्य तथा परिवादी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु एसीबी कार्यालय से साथ लेकर आये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी को समझाई गई। उक्त वॉइस रिकॉर्डर में खाली मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी डालकर वाईस रिकॉर्डर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपुर्द कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु रवाना किया गया। समय 4.15 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 मय परिवादी के मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर के पास उपस्थित हुआ व वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि ''परिवादी के साथ उसकी स्कूटी पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना होकर पीएचईडी ऑफिस के पास पहुंचा जहां पर समय 3.33 पीएम पर वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पीएचईडी ऑफिस के अन्दर रवाना किया। मन् कानि. उक्त ऑफिस के आस-पास ही अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम रहा। समय 4.00 पीएम पर परिवादी अपनी स्कूटी लेकर मेरे पास आया जिससे मैने वॉइस रिकॉर्डर में आवाजे रिकॉर्ड होना सुनिश्चित कर वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया।'' मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि '' पीएचईडी ऑफिस में पहुंचकर मैने वहां पर उपस्थित जेईएन मोहित सिंघल से वार्ता की, उनके पास ही लेखाकार भी मौजूद था। पीएचईडी ऑफिस में पदस्थापित जेईएन व लेखाकार ने मेरे फ्लेट में पानी का कनेक्शन करने की एवज में मेरे से पूरे काम के 22,000 रूपये मांग रहे है। उक्त 22,000 रूपयों में से करीब 14,000 रूपये मेरे काम के बता रहे है तथा 8,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग रहे है। उक्त 14,000 रूपयों में से मेरे को 8,500 रूपये की ही रसीद देने के बारे में कहा गया है'' कानि0 से प्राप्त वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। तदुपरान्त वॉइस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के अवलोकन से संदिग्ध जेईएन श्री मोहित सिंघल द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार से मिलकर आपस में षड़यन्त्र रचकर परिवादी से उसके वैध कार्य को पूरा करने हेतु 8,000 रूपये रिश्वत राशि के रूप में मांग करने के तथ्य प्रथक दृष्टया प्रकट हुये है। मन् उप अधीक्षक पुलिस व अन्य जाप्ता वहां से सरकारी वाहन के रवाना होकर समय 5.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय हाजा पहुंचे। वॉइस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस के देखरेख में सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 18.08.2023 को परिवादी मनीष कुमार शाह ब्यूरो कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ है जिसने बताया कि ''एक-दो दिन मेरे घर पर आवश्यक कार्य है तथा मेरे पास 22,000 रूपयों की व्यवस्था भी नही हुई है। इसलिए मै

Suresh

सोमवार को मेरा आवश्यक कार्य निपटा कर पीएचईडी में पदस्थापित जेईएन व लेखाकार को दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 21.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 21.08.2023 को कार्यालय समय पर समस्त स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आ चुका है। गोपनीय कार्यवाही की विश्वसनियता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता रहती है अत: इस हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक एसपीएल दिनांक 14.08.2023 के द्वारा पूर्व से पाबन्ध शुदा स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्ध किया गया। समय 11.20 एएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार भी कार्यालय में उपस्थित हो चुका है तथा कार्यालय हाजा के पत्रांक एसपीएल दिनांक 14.08.2023 के द्वारा पांबदशुदा दो स्वतंत्र गवाहान 1. श्री लोकश कुमार वर्मा एवं 2. श्री विजय कुमार शर्मा कार्यालय हाजा में उपस्थित हुये है। जिनसे नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री लोकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री जगनलाल वर्मा, उम्र 35 साल, निवासी मु.पो. कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री वृद्विचन्द शर्मा, उम्र 58 साल, निवासी 40-ए, शिवसहाय कॉलोनी, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) जयपुर बताया। जिनको आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार वर्मा एवं श्री विजय कुमार शर्मा को ब्यूरो हाजा द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने की सहमती चाही तो दोनो सरकारी गवाहान ने अपनी सहमती दी। जिस पर चौकी में उपस्थित परिवादी श्री मनीष कुमार शाह से दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाकर, परिवादी मनीष कुमार शाह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.30 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार वर्मा एवं श्री विजय कुमार शर्मा के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मनीष कुमार शाह पुत्र श्री बोदूराम शाह, निवासी प्लाट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर को संदिग्धों को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने अपने जेब में से 500-500 रूपये 44 नोट कुल 22,000 रूपये (बाईस हजार रूपये, प्रचलित भारतीय मुद्रा) गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण पृथक से तैयार की गई फर्द में अंकित किया गया। फर्द में अंकित उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के नोटों कुल राशि 22,000/- रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री मनीष कुमार शाह के समक्ष श्री प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर से एचएम कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर वहीं पर रखी एक टेबल पर अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया व नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनीष कुमार शाह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री लोकश कुमार वर्मा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल व जरूरी कागजातो के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं छोड़ी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 22,000 रूपयों को सीधे ही श्री प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक से परिवादी मनीष कुमार शाह के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दांई जेब मे रखवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्धों द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटो को उसको सुपुर्द करें तथा संदिग्ध इस रिश्वत राशि को लेकर कहां रखते है, कहां लेकर जाते है इसका भी ध्यान रखें। संदिग्धों द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात् ही अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझें या यथा संभव ट्रेप पार्टी को ईशारा करें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को भी यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहने की आवश्यक हिदायत की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया

Suresh

तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को व पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी वापस अलमारी में रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई व किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्धों द्वारा कुल 22,000 रूपयों लिये जायेंगे जिनमें रिश्वत राशि के साथ वैध कनेक्शन की राशि भी शामिल है। अतः कुल 22,000 रूपये एक साथ ही परिवादी द्वारा संदिग्धों को दिये जायेगें। अतः इस संबंध में विशेष सावधानी रखने की हिदायत की गई। रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी व संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय पूर्व से उपयोग में लिया जा रहा मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपुर्द किया गया व हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध के पास जाये उससे पूर्व उक्त वॉइस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की पृथक से नियमानुसार फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई। समय 3.15 पीएम पर श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ज.न.तृ. जयपुर के निर्देशन में मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर मय श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्री मनीष कुमार कानि. 315, श्रीमती रजनी मीना म0का0 127, श्री अशोक कुमार कानि. 99 श्री रोहित सेपट, कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश कुमार वर्मा व श्री विजय कुमार शर्मा के दो सरकारी वाहनो मय चालक श्री रूपेश कुमार शर्मा व श्री धर्मवीर कानि. चालक के, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री लेकर वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हाजा से सीकर रोड़ की ओर रवाना हुये, साथ ही श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी मनीष कुमार शाह के साथ उसके निजी वाहन स्कूटी से रवाना कर आवश्यक हिदायत की गई। समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 कार्यालय पीएचईडी, विश्वकर्मा एरिया, जयपुर के पास पहुंच चुके है, मन् उप अधीक्षक पुलिस, मय ट्रेप टीम भी अपनी पहचान छुपाते हुये उनके पास पहुंचकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वक्त करीब 4.06 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 द्वारा परिवादी श्री मनीष कुमार शाह को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा श्री सुभाष चन्द्र कानि. को परिवादी श्री मनीष कुमार शाह की निजी स्कूटी पर संदिग्धों से मिलने उनके कार्यालय पीएचईडी कार्यालय, वीकेआई जयपुर की तरफ रवाना किया गया। मन् टीएलओ सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व अन्य ट्रेप टीम के सदस्यों के साथ परिवादी की निजी स्कूटी के पीछे-पीछे रवाना होकर पीएचईडी कार्यालय के बाहर कुछ दूरी पर अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। परिवादी के साथ उसकी निजी स्कूटी पर रवाना किये गये कार्यालय हाजा के श्री सुभाष कानि. भी पीएचईडी कार्यालय के थोड़ी दूरी बनाते हुये स्कूटी से उतर कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 4.12 पीएम पर परिवादी ने मन् टीएलओ व जाप्ता को निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् टीएलओ व आस पास खड़े ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए परिवादी के पास पहुंचकर उससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी को साथ लेकर पीएचईडी, ऑफिस के अन्दर प्रवेश हुये। कार्यालय में घुसते ही परिवादी ने कार्यालय में मौजूद एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुये बताया कि यही श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन है

Suresh

जिन्होने अभी अभी मेरे से 22,000 हजार रूपये लेकर उनमें से 1,000 रूपये मेरे को वापस देते हुये 21,000 हजार रूपये अपने हाथों में लेकर, गिनकर अपनी पहनी पेन्ट के पिछे की जेब में रख लिये थे। जिस पर हमराह जाप्ता की मदद से श्री मोहित कुमार सिंघल को डिटेन कर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं व हमराही जाप्ता का परिचय देते हुये श्री मोहित सिंघल को नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, उम्र 26 साल, निवासी मु.पो. ठिकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा हाल म.नं. 180/174, सैक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर हाल जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ.) जयपुर बताया। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल से परिवादी से अभी अभी रिश्वत के रूप में लिये गये 22,000 रूपयों के बारे में पूछा गया तो उसने रूपये लेने से साफ इन्कार करते हुये झूठा फंसाने की बातें करने लगा जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री मनीष कुमार शाह ने बीच में टोकते हुये बताया कि जेईएन साहब झूठ बोल रहे है कुछ समय पहले मै इनके पास आया था जिन्होने मेरे काम के बारे में बात करते हुये पानी का कनेक्शन करने हेतु कहा गया तो इन्होने कहा कि पिसा-टक्का लेकर आये हो क्या तो मैने कहा कि मै आपके बताये अनुसार पूरे पैसे लेकर आया हूं अब आप कुछ फायदा कराओं तो, करा दो तो जेईएन साहब ने मेरे को उक्त 22,000 रूपयों में से 1,000 रूपये वापस देते हुये कहा कि तुम इसको (अकाउटेन्ट को) 18,000 रूपये ही बताना तो मैने कहा कि मुझे अकाउटेन्ट से क्या लेना-देना है, इसके बाद जेईएन साहब ने मेरे को कहा कि इनमें से 5,000 तो मेरे है व 5,000 रूपये एईएन के है। उसको (अकाटेन्ट को) 1,000 रूपये दे देंगे। जिस पर संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल को रिश्वत राशि के बारे में पुन: तस्सली पूर्वक पूछा तो उन्होने बताया कि मैने इनसे रूपये नही मांगे, ये मनीष कुमार मेरे साले का दोस्त है मेरे साले ने इनकी सिफारिस की और कहा कि इनका काम करना है तो मैने विश्वास में आकर इनके पानी के कनैक्शन हेतु 8-10 हजार रूपये फाईल चार्ज व ठेकेदार का देने के लिए बताये थे जिस पर ये आज मुझे 22,000 रूपये देकर गये थे जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होने मेरे से 17.08.2023 को मेरे फ्लेट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादा का फाटक, जयपुर में पानी का कनेक्शन हेतु 22,000 रूपये मांगे थे जिनमें से इन्होने मेरे को 8,500 रूपये की रसीद देने के लिए भी कहा था। इनके कार्यालय में कार्यरत लेखाकार श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ ने मेरे को कहा था कि रूपये देकर आप फ्री हो जाओं, क्यो फालतु के चक्कर में पड़ते हो। जेईएन साहब ने अभी कुछ समय पहले ही मेरे सामने श्री रविन्द्र सिंह को फोन कर ऑफिस में आने व मेरा काम करने के लिए कहा था। जिस पर संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल ने कहा कि मुझे मेरे साले अविनाश ने फोन कर मनीष कुमार शाह का पानी का कनेक्शन करने के संबंध में कहा था जिस पर मैने मनीष कुमार को दिनांक 17.08.2023 को 22,000 रूपये खर्चा आने की बात कही थी, मेरे से गलती हो गई। जिस पर संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल को पानी के कनैक्शन में आने वाले वास्तविक खर्चा के बारे में पूछा तो श्री मोहित कुमार सिंघल ने बताया कि पानी कनैक्शन में लेवी (भूखण्ड नाप) के करीब 8,000 रूपये, मीटर चार्ज 1500 रूपये, एल फार्म के 500 रूपये व ठेकेदार द्वारा कनेक्शन के करीब 3000 रूपये कुल 13000 रूपये चार्ज लगता है। मांग सत्यापन के अनुरूप एईएन की भूमिका के संबंध में जेईएन मोहित कुमार सिंघल से पूछा गया तो उनसे इस संबंध में एईएन के बारे में कुछ भी ना बताकर कथित लेखाकार (एसडीसी) श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा ही रूपये मांगने बतायें। संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल को रिश्वत के रूपयों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 21000 रूपये में से 18000 रूपये मैने मेरी कार नं. आरजे 45सीवी 3146 में रख दिये है तथा तीन हजार रूपये मेरे पास है। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थित में संदिग्ध के दोनो हाथो को सावधानी से पकड़े हुये कार्यालय में खड़ी उसकी कार की ओर ले गये तो संदिग्ध द्वारा अपनी जेब में से कार की चाबी निकालकर कार को अनलॉक किया जिस पर कार की तलाशी ली गई तो कार की पिछली सीट पर एक सफेद प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ मिला जिसके हरे रंग का ढक्कन है, उक्त डब्बा को स्वतन्त्र गवाह श्री विजय कुमार शर्मा से चैक करवाया गया तो डिब्बा में 500-500 रूपये के 36 नोट कुल 18000 रूपये मिले जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री विजय कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। कार को पुन: लॉक कर चाबी व संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल का मोबाईल फोन स्वतन्त्र

Suresh

गवाह श्री विजय कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके अतिरिक्त संदिग्ध की सरसरी तौर पर ली गई तलाशी में उसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की जेब में 500-500 रूपये के 9 नोट कुल 4500 रूपये मिले, जिनको सुरक्षित स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। साथ ही संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह को वापस दिये गये 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1000 रूपये परिवादी से प्राप्त कर स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान के पास सुरक्षित रखवाये गये उपरोक्त 500-500 नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो कार में रखे डिब्बा में से बरामद नोटो के नम्बर फर्द में नोट क्र.सं. 01, 10 से 44 तक होना पाए गए। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल की पेन्ट की तलाशी में मिले 4500 रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास रखवाये गये थे उक्त नोटो में से 6 नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोट क्र सं. 2,3,4,5,6,7 पर होना पाये गये शेष 1500 रूपये वापस संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल को सुपुर्द किये गये। इसी प्रकार परिवादी से प्राप्त 2 नोट जो स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास रखवाये गये थे, उक्त नोटो के नम्बर फर्द में नोट क्र. सं. 8 व 9 पर अंकित होना पाये गये है। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल को परिवादी की पानी के कनैक्शन की फाईल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बारे में मेरे को पता नही है, पानी के कनैक्शन की फाईलो का काम रविन्द्र सिंह राठौड़ ही देखता है उसको ही इस बारे में पता है तथा जिस रूम में फाईले रखी जाती है उसकी चाबी भी ज्यादातर रविन्द्र सिंह राठौड़ अपने पास ही रखता है। परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह विभागीय लैपटाप से जोड़कर सुना गया तो उसमें वार्ताएं रिकॉर्ड होकर परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्ठी होती है। तत्पश्चात मौके पर ही कार्यालय के एक कमरे में धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें आरोपी श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर उक्त गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री मोहित कुमार सिंघल के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री मोहित कुमार सिंघल के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्कर पैन से मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी की कार नं. आरजे 45सीवी 3146 में रखे सफेद प्लास्टिक के डिब्बा, जिसमें से रिश्वत के 18000 रूपये बरामद किये गये थे, के अन्दर का धोवन लेने हेतु एक सफेद कपड़े की चिन्दी से रगड़कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो पानी का रंग झांईनुमा हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क D-1, D-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपड़े की चिन्दी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क C अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त डिब्बा को सफेद कपड़े की थैली में शील्डमोहर कर मार्क D अंकित संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल के पहनी जिन्स पेन्ट की बांई साईड की पिछे की जेब जिसमें से रिश्वत राशि 3000 रूपये बरामद की गई थी, के जेब का धोवन लेने के लिए संदिग्ध के पहनने हेतु दुसरे पेन्ट की

Suresh

व्यवस्था कर पेन्ट का उतरवाकर जेब को उलट कर उपरोक्तानुसार नये एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो पानी का रंग झांईनुमा हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जिन्स पेन्ट को सुखाकर जेब के उलटे हुये हिस्से पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर पैकेट पर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल की कार नं. आरजे 45सीबी 3146 मे रखे डिब्बा में से बरामद किये गये 500-500 रूपये के 36 नोट कुल रिश्वत राशि 18000 रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री विजय कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसी प्रकार संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे बांई साईड की जेब की तलाशी में पाई गये 500-500 रूपये के 9 नोट कुल 4500 रूपये में से फर्द पेशकशी में मिलान करने के उपरान्त पाये गये रिश्वत राशि 3000 रूपये जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M-1" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसी प्रकार संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल द्वारा रिश्वत राशि 22,000 रूपये में से परिवादी मनीष कुमार शाह को वापस दिये गये 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1000 रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M-2" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसी दौरान समय 5.00 पीएम पर कार्यालय पीएचईडी में एक व्यक्ति अजखुद उपस्थित हुआ जिसको देखकर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह ने बताया कि ये श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ है जो यहीं पर लेखाकार है जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौर, उम्र 28 साल, निवासी, गांव डोबड़ी खुर्द, पंचायत डोबड़ी कला, तहसील मकराना, नागौर हाल प्लॉट नं. 90, शिवनारायण वाटिका, बालाजी विहार-62 के अपोजिट साईड, निवारू रोड़ जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ) जयपुर बताया तथा आगे बताया कि मुझे जईएन साहब ने फोन कर मनीष कुमार शाह के पानी के कनेक्शन के के काम आज ही पूरा करने के लिए कार्यालय में बुलाया था जिस कारण मैं कार्यालय में आया हुं, जिसको ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया जाकर हमराही जाप्ते से डिटेन कर दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के बारे मे पूछा तो श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ ने दिनांक 17.08.2023 को हुई किसी भी प्रकार की रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में इन्कार किया जिस पर मौजूद परिवादी श्री मनीष कुमार शाह ने बताया कि इन्होने मेरे को दिनांक 17.08.2023 को कहा था कि आपके पानी के कनैक्शन कराने में करीब 22,000 रूपये लगेंगे जिसमें से करीब 13000 रूपये तो फाईल, फीस व ठेकेदार के होगें। तथा इसने मेरे से कहा था कि ये रूपये देकर फ्री हो जाओं, इतने रूपये तो लगते ही है। श्री रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक ने बताया कि मैने इससे रिश्वत की मांग नही की, जेईएन साहब के पास इनके साले अविनाश का फोन आया था जिसने जेईएन साहब को मनीष कुमार का पानी के कनैक्शन करने के लिए कहा था। मनीष कुमार दिनांक 17.08.2023 को हमारे कार्यालय में आये थे उस दिन जेईएन साहब ने इसको कहा था कि कुल 22000 रूपये लगेगे जिनमें से करीब 13000 रूपये फाईल चार्ज व ठेकेदार के होगें और मैने मनीष कुमार को कहा था कि क्यो चक्कर में पड़ते हो रूपये दे कर फ्री हो जाओ। मेरे से गलती हो गई। तदुपरान्त संदिग्ध श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ को परिवादी की पानी की फाईल के बारे में पूछा तो उसने अपने पास रखी चाबी से कार्यालय में स्थित एक कमरे को खोलकर एक हरें रंग की फाईल प्रस्तुत की जिस पर पेन से फाईल नं. 1863835 लिखा हुआ है। उक्त फाईल के बारे में संदिग्ध रविन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उक्त फाईल मनीष कुमार द्वारा मुझे 09.08.2023 को देकर गया था, उक्त फाईल मनीष कुमार द्वारा पूर्व में लगाई फाईल है जो रिजेक्ट हो गई थी। उक्त फाईल के संबंध में परिवादी मनीष कुमार शाह से पूछा गया तो उसने बताया कि

Suresh

ये फाईल मेरे द्वारा पूर्व में वर्ष 2021 में लगाई थी जो इनके द्वारा रिजेक्ट कर दी थी, उक्त फाईल मैने दिनांक 09.08.2023 को जब मै जेईएन साहब और रविन्द्र सिंह से मिला था तब रविन्द्र सिंह ने आगे की कार्यवाही करने के लिए ये फाईल मुझसे ले ली थी। उक्त फाईल की पृथक से फर्द जब्ती तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। संदिग्ध श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ को मोबाईल फोन स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। कार्यवाही के दौरान समय करीब 5.30 पीएम पर एक व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुआ जिसके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यप्रकाश पंवार, सहायक अभियन्ता, पीएचईडी बताया। जिनको की एसीबी द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुये नाम-पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री सत्यप्रकाश पंवार पुत्र श्री महेश चन्द नापित, उम्र 28 साल, निवासी वा.नं. 5, मानसरोवर कॉलोनी, न्यू बस स्टेण्ड, तलाई रोड़, जमात लालसोट, दौसा हाल एल-01, कृष्णमपर्ल, ई-स्टेट, रामचन्द्र पुरा, सीतापुरा, जयपुर हाल एईन, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उतर), जयपुर बताया। जिनको बताया गया कि परिवादी मनीष कुमार शाह द्वारा दिनांक 17.08.2023 को संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल व कनिष्ठ सहायक रविन्द्र सिंह राठौड़ से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल द्वारा आपके नाम से रिश्वत की मांग की थी जिस पर श्री सत्यप्रकाश पंवार, एईएन ने बताया कि मैने श्री मनीष कुमार से, मेरे कार्यालय में कार्यरत श्री मोहित कुमार सिंघल व श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ से कभी भी रिश्वत की मांग नही की। मैने कभी मनीष कुमार से फोन पर भी बात नही की, यदि इस कार्यालय में कार्यरत उक्त लोग मेरे नाम से किसी से रिश्वत की मांग करते है तो इस बारे में मुझे कोई मालूम नही है, मैने कभी भी किसी से रिश्वत की मांग नही की है। उपस्थित श्री सत्यप्रकाश पंवार से परिवादी मनीष कुमार शाह की पूर्व की फाईल एवं वर्तमान फाईल की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होने राजनीर पोर्टल से परिवादी मनीष कुमार शाह की पूर्व की फाईल की स्थिति का प्रिन्ट आउट निकाल कर सत्यपित कर प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। वर्तमान में लगाई गई फाईल के संबंध में उक्त पोर्टल पर कोई फाईल प्रदर्शित नही होना बताया। इस प्रकार संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन व श्री रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह के प्लाट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर में पानी का कनेक्शन करने की फाईल लगाने व पानी कनेक्शन करने के समस्त कार्यो की एवज में वैध राशि करीब 13000 रूपये के बदले उक्त समस्त कार्यो के 22,000 रूपये मांगने के तथ्य प्रकट हुये है तथा उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह से 21,000 रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये गये जो संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल की कार व उसकी पहनी हुई पेन्ट की जेब से बरामद किये गये। इस प्रकार संदिग्ध श्री मोहित कुमार, जेईएन, पीएचईडी व रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर, आपसी षड़यन्त्र रचना पाया गया है तथा संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह के वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उतर) जयपुर को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 17.08.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 21.08.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री मोहित कुमार सिंघल ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इसी प्रकार संदिग्ध श्री रविन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उतर) जयपुर को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 17.08.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड की गई आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपी श्री मोहित कुमार सिंघल व रविन्द्र सिंह राठौड़ एवं परिवादी श्री मनीष कुमार शाह के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.08.2023 एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 21.08.2023 को हुई

Suresh

परिवादी मनीष कुमार शाह एवं आरोपी मोहित कुमार सिंघल के मध्य हुई वार्ताए जो विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है, उक्त रिकॉर्ड आवाजों में आरोपी मोहित कुमार सिंघल व रविन्द्र सिंह राठौड़ की आवाज की पहचान हेतु, कार्यवाही के दौरान उपस्थित उक्त दोनो के परिचित एवं उच्चधिकारी श्री सत्यप्रकाश पंवार, एईएन को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं को सुनाया गया तो श्री सत्यप्रकाश पंवार, एईएन ने रिकार्डेड वार्ताओं को सुनकर उक्त वार्ताओं में श्री मोहित कुमार सिंघल व श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ की आवाज की पहचान की गई। आरोपीगण के कब्जा से बरामद शुदा मोबाईल फोन जो स्वतन्त्र गवाहान के पास सुरक्षित रखवाये गये थे का पृथक-पृथक निरीक्षण कर, संबंधित कॉल लॉग के प्रिन्ट आउट निकाले जाकर संबंधितों के हस्ताकरण करवाया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मोबाईल फोन को पृथक-पृथक से जरिये फर्द जब्त किया गया। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही से संदिग्ध मोहित कुमार सिंघल हाल जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ.) जयपुर व श्री श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ) जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह के प्लाट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर में पानी का कनेक्शन करने की फाईल लगाने व पानी कनेक्शन करने के समस्त कार्यो की एवज में वैध राशि करीब 13000 रूपये के बदले उक्त समस्त कार्यो के 22,000 रूपये मांगने तथा उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह से 21,000 रूपये रिश्वत के रूप में स्वयं के लिए व रविन्द्र सिंह राठौड़ के लिए प्राप्त करना पाया गया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन व श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ को उपरोक्त धाराओं में नियममानुसार पृथक-पृथक गिरफतार किया गया जिनकी फर्द गिरफतारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मन् टीएलओ द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को हमराह लेकर घटना स्थल कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उत्तर) जयपुर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह की निशांदेही से घटना स्थल का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त किये गये व सील्डमोहर किये गये आर्टिकल्स को सील करने में एसीबी जयपुर की ब्रास सील काम में ली गई। जिसका नमूना ट्रेप कार्यवाही के दौरान तैयार की गई फर्दात पर अंकित किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन-देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की वॉइस क्लिप्स का नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, उम्र 26 साल, निवासी मु.पो. ठिकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा हाल म.नं. 180/174, सैक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर हाल जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ.) जयपुर व 2. श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौर, उम्र 28 साल, निवासी, गांव डोबड़ी खुर्द, पंचायत डोबड़ी कला, तहसील मकराना, नागौर हाल प्लॉट नं. 90, शिवनारायण वाटिका, बालाजी विहार-62 के अपोजिट साईड, निवारू रोड़ जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ) जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री मनीष कुमार शाह के प्लाट नं. 7/4, रजत अपार्टमेन्ट, दादी का फाटक, जयपुर में पानी का कनेक्शन करने की फाईल लगाने व पानी कनेक्शन करने के समस्त कार्यो की एवज में वैध राशि करीब 13000 रूपये के बदले उक्त समस्त कार्यो के 22,000 रूपये मांगने तथा उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में संदिग्ध श्री मोहित कुमार सिंघल, जेईएन द्वारा परिवादी मनीष कुमार शाह से 21,000 रूपये रिश्वत के रूप में स्वयं के लिए व रविन्द्र सिंह राठौड़ के लिए प्राप्त करना पाया

Suresh

गया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया है।

अत: लोकसेवक आरोपीगण 1. श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, उम्र 26 साल, निवासी मु.पो. ठिकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा हाल म.नं. 180/174, सैक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर हाल जेईएन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ.) जयपुर व 2. श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौर, उम्र 28 साल, निवासी, गांव डोबड़ी खुर्द, पंचायत डोबड़ी कला, तहसील मकराना, नागौर हाल प्लॉट नं. 90, शिवनारायण वाटिका, बालाजी विहार-62 के अपोजिट साईड, निवारू रोड़ जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-द्वितीय, (उ) जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा. द.सं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, हाल जेईएन कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड–द्वितीय, (उ.) जयपुर 2. श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौड, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड–द्वितीय, (उ) जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 226/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भवदीय,

22.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः– 2618–21 दिनांक 22.08.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या–1, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर।

22.8.23

पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।